एन पी सी सी
NPCC

NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
(A Govt. Of India Enterprises)
Uttarakhand Zonal Office Dehradun

पत्रांक सं०.NPCC/PMGSY/201 Date :09/06/2022

सेवा में,

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

विषय: जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि. मी. 2 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण-

संदर्भ: 8बी/यू.पी.सी/06/111/2019/एफ.सी./884 dated 07/08/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक 8बी/यू. सी.पी./06/111/2019/एफ. सी./884 दिनांक 07/08/2020 को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी। अधिरोपित शर्तों का बिंदुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

1. शर्त संख्या 1 के अनुपालना में भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. शर्त संख्या 2 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी की सहमति है।
3. शर्त संख्या 3 के अनुपालना में प्रतिपूरक वनीकरण
   क) यह बिंदु बद्रीनाथ वन प्रभाग से संबंधित है। प्रतिपूरक वनीकरण के सापेक्ष रुपए 22,08,892.00 वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया गया है।
   ख) यह बिंदु बद्रीनाथ वन प्रभाग से संबंधित है।
   ग) गैर वानिकी भूमि राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण नामांतरण एवं **Notification** करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। **guideline para 2.4 (i)** के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्ताव मे प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण कराने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, **1927** के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व अरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त बिंदु पर प्रयोक्ता एजेंसी की सहमति है।
   घ) यह बिंदु वन विभाग से संबंधित है।
4. शर्त संख्या 4
   क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **WP(C)** संख्याः **202/1995** में **IA** नंबर 556 दिनांक **30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008** एवं **09.05.2008** तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी.**(Pt 2)** दिनांक **18.08.2003,** 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक **03.10.2006** एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक **05.02.2009** में जारी दिशानिर्देशों दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.275 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के सापेक्ष रूपये 21,51,675.00 जमा कर दी गई है।

Zonal Office : 98, Nehru colony, Dalanwala, Dehradun, Uttarakhand 248001 , mail: npccnwz@gmail.com Tel No 0135-2675725

ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्ती वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद दे हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। इस संबंध में शपथपत्र संलग्न है।

5. शर्त संख्या 5 के अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम ही की जाएगी एवं पेड़ों के कटान की लागत वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।
6. शर्त संख्या 6 की अनुपालना वन विभाग द्वारा की जानी है।
7. शर्त संख्या 7 की अनुपालना वन विभाग द्वारा की जानी है।
8. शर्त संख्या 8 की अनुपालना में एफ आर ए,2006 का पूर्ण अनुपालना जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जाएगा ।
9. शर्त संख्या 9 का अनुपालना प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा की जाएगी।
10. शर्त संख्या 10 के अनुपालना मे प्रर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
11. शर्त संख्या 11 के अनुपालना में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा ।
12. शर्त संख्या 12 के अनुपालना मे वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. शर्त संख्या 13 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मज़दूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. शर्त संख्या 14 के अनुपालना में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. शर्त संख्या 16 के अनुपालना में प्रत्यावर्तन की इस अनुमोदन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. शर्त संख्या 17 के अनुपालना में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. शर्त संख्या 18 के अनुपालना में केंद्र सरकार की पूर्वानुमानित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. शर्त संख्या 19 के अनुपालना में किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
20. शर्त संख्या 20 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी सहमति देती है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
21. In compliance of the condition no. 20, user agency shall carry out muck disposal in pre designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down and retaining walls/ terracing shall be carried out for holding the dumping materials in place. Stabilization and reclamation of the dumping sites shall be completed before handing over to the state forest department in time bound manner as per plan. Tree felling is not permitted in the much disposal area and State government will submit list of trees saperately In muck disposal area.

22. यदि कोई संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालयी आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अनुमति ली जाएगी।

23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोटर्ल (https://parivesh.nic /in/) पर अपलोड की जाएगी।

उप प्रबंधक
एन. पी . सी.सी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड को सूचनार्थ प्रेषित

2 जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित

3 जोनल मैनेजर, एन. पी . सी.सी, उत्तराखंड जोन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित

दिनांक :09/06/2022

प्रमाणपत्र

जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि. मी. 2 से मोखमल्ला तक प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक 8बी/यू. सी.पी./06/111/2019/एफ. सी./884 दिनांक 07/08/2020 को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी।

स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या 4 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 5-3/2007, एफ सी दिनांक 05/02/2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार गणना करके प्रभावित क्षेत्र एन०पी०वी० की देय धनराशि रूपये **21,51,675.00** (सिर्फ इक्कीस लाख इक्यावन हजार छः सौ पिचहत्तर रूपये) आनलाइन चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।

शर्त संख्या 4 (ख) के अनुपालना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि , यदि कोई है, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो इस परिस्थिति में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अतिरिक्त धनराशि जमा करा दी वचनबद्धता का प्रमाणपत्र संलग्न है।

पी०आई०यू

पी०एम०जी०एस०वाई वर्क्स

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372-252175

पत्रांक 5303/ 12-1 ,गोपेश्वर, दिनांक 28/05, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः— जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 2 से मोख मल्ला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण । (FP/UK/Raod/38079/2019)

संदर्भ:— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 2461/FP/UK/Road/38079/2019 दिनांक 13.04.2022 .

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा तीन बिन्दुओं में सूचना चाही गयी है। चाही गयी सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है:—

क्र0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में चाही गयी सूचना	अनुपालन आख्या
1.	राज्य सरकार रूपये 22,08,892.00 की सी0ए0 योजना की प्रति प्रस्तुत करने का कष्ट करे।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि रू0 22,08,892.00 का प्राक्कलन तीन प्रतियां संलग्न है। (संलग्न–1)
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 24.02.2022 की प्रति में 5.318 है0 क्षेत्र को 6.551 है0 दर्शाया गया है तथा सम्पूर्ण क्षेत्रो का विवरण शामिल नहीं है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करे।	कम्प्यूटर ऑपरेटर के टंकण की त्रुटिवश आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्रमाण पत्र में जिलाधिकारी चमोली द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरण किये गये कुछ खसरा नं0 व रकवा छूट जाने तथा क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 6.551 है0 लिखा गया, जिसे सुधार कर प्रमाण पत्र पुनः प्रेषित की जा रही है (संलग्न–2)। भविष्य में अभिलेखो की जांच के उपरान्त ही प्रमाण पत्र निर्गत की जायेगी।
3.	सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त सं0 3(घ) के सापेक्ष में प्रस्तुत प्रमाण पत्र में प्रस्ताव का नाम एवं सम्पूर्ण सी0ए0 क्षेत्र के नाम का भी उल्लेख नही है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करे।	प्रमाण पत्र में प्रस्ताव का नाम व सम्पूर्ण सी0ए0 क्षेत्र व खसरा नं0 का उल्लेख भी कर दिया गया है। भविष्य में प्रमाण पत्र में प्रस्ताव का नाम व सम्पूर्ण विवरण भरकर प्रमाण पत्र निर्गत की जायेगी। (संलग्न–3)

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः— यथोपरि।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:– 5303 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— उप प्रबन्धक, एन0पी0सी0सी0, लि0 थराली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धुर्मा कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 से मोख मल्ला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

क्र0सं0	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
1.	ग्राम–कुण्डी सिविल सोयम भूमि।	6.551
	योग	6.551

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय योजना

क्र0 सं0	रोपित प्रजातियां	संख्या
1.	बांज, काफल, आंवला, पदम इत्यादि	7206
	रोपित कुल पौघ	**7206**

प्रथम चरण

क्र0 सं0	कार्यमद का विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर (प्रति रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	6.551	है0	168.00	1100.57
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान) आदि	6.551	है0	5446.00	35676.75
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	6.551	है0	48000.00	314448.00
4	गडढे खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित (प्रति गड्डा 25 ग्राम)	7206	गडढे	11.00	79266.00
6	पाधों की कीमत (प्रथम वर्ष) उगाने का	7206	पौधे	10.00	72060.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयत्र औजार तेज करना एवं निरीक्षण बटिया	6.551	है0	1350.00	8843.85
8	कन्टूर नाली खुदान व रेखाकंन	1540.00	र0मी0	93.30	143682.00
9	जल संरक्षण कार्य एवं भूमि संरक्षण कार्य	7.000	सं0	23500.00	164500.00
	योग– प्रथम चरणः–				**819577.16**
	द्वितीय वर्ष				
1	गडढे भरान कार्य	7206	सं0	2.00	14412.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	7206	सं0	3.00	21618.00
3	पौध ढुलान कार्य	7206	सं0	13.00	93678.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	7206	सं0	4.00	28824.00
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई	7206	सं0	2.75	19816.50
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	7206	सं0	2.40	17294.40
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख पर व्यय 7 माह	7	माह	1000.00	45857.00
9.	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाजर घास/काला बांसा)	6.000	है0	1800.00	10800.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	30000.00
10	बोर्ड क्रय कर लगाना एंव अन्य व्यय	1.000	सं0	L.S	10000.00
11	जल संरक्षण कार्य एवं भूमि संरक्षण कार्य	7.00	सं0	25000.00	175000.00
				योग– द्वितीय चरणः–	**467299.90**

Scanned with CamScanner

	तृतीय वर्ष				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	माह	1000.00	78612.00
2.	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाचर घास/काला बांसा)	4.00	है0	1800.00	7200.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	50000.00
3	पौध की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	721	पौधे	13.00	9373.00
4	पौध की ढुलान	721	पौधे	13.00	9373.00
5	पुनः गढ्ढा खोदना एवं रोपण कार्य	721	पौधे	6.00	4326.00
6	गढ्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	6.6	कु0	285.00	1881.00
7	पौधों की शीतकालीन मचलिंग	721	पौधे	2.38	1715.98
				योग तृतीय चरणः–	**162480.98**
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग चतुर्थ चरणः–				**108612.00**
	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग पचम चरणः–				**108612.00**
	छठा वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग छठा चरणः–				**108612.00**
	सातवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग सातवां चरणः–				**108612.00**
	आठवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग आठवां चरणः–				**108612.00**
	नौवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग नौवां चरणः–				**108612.00**
	दसवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग दसवां चरणः–				**108612.00**

5– कुल व्यय सांरास प्रति है0 व कुल व्यय

क्र0 सं0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय
1	प्रथम वर्ष	819577.16

Scanned with CamScanner

2	द्वितीय वर्ष				467299.90
3	तृतीय वर्ष				162480.98
4	चतुर्थ वर्ष				108612.00
5	पंचम वर्ष				108612.00
6	षष्ठम वर्ष				108612.00
7	सप्तम वर्ष				108612.00
8	आठवां वर्ष				108612.00
9	नवम् वर्ष				108612.00
10	दसम वर्ष				108612.00
	कुल रूपयें				**2209642.04**
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 972/3–5–2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2021–22 हेतु देय दर प्रति है0 रू0 337184.00		6.551	ha	337184.00	2208892.4
या देय कुल धनराशि					**2208892.00**

Checked For Rs 2208,892/-

D/Man
Forest

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

Scanned with CamScanner

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/38079/2019 जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धुर्मा—कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.275 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0,लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के लिए वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम कुण्डी, प0पू0 मोख, तहसील घाट की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0—13 के खसरा नं0 1595 में 5.035 है0, खसरा नं0 1600 रकवा 0.421है0 खसरा नं0 1601 रकवा 0.133है0, खसरा सं0 1612 रकवा 0.678है0 एवं खसरा सं0 1621 रकवा 0.284 अर्थात कुल 6.551 है0 भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन /अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 759/छब्बीस—05(2020—2021) दिनांक 27.10.2020 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद करा दी गई है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। अधिसूचना सं0 869—F/639 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14—2—97—800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नही है।

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांकः— पौड़ी मई, 2022।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण वन एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, 25,सुभाष रोड़, देहरादून।
2— प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— प्रमुख वन संरक्षक(HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण निदेशालय, देहरादून।
5— मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6— सम्बन्धित जिलाधिकारी,
7— गार्ड बुक।

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धुर्मा—कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धुर्मा कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है0 वन भूमि के एवज में 6.551 है0 भूमि (खसरा सं0 1595 रकबा 5.035 है0, खसरा सं0 1600 रकबा 0.421 है0, खसरा सं0 1601 रकबा 0.133 है0, खसरा सं0 1612 रकबा 0.678 है0 एवं खसरा सं0 1621 रकबा 0.284) ग्राम कुण्डी सिविल सोयम भूमि चयनित की गयी है। इस पर पूर्व में किसी योजना से वृक्षारोपण कार्य नहीं हुआ है।

(बी0एस0परमार)
वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372–252175

पत्रांक 570 /12–1 ,गोपेश्वर, दिनांक 17 अगस्त 2020।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड–1
कर्णप्रयाग।

विषय– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घुर्मा कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है0वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ– भारत सरकार एव वन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/111/2019/एफ0सी0/884 दिनांक 07.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण मे भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र प्रेषित की जा रही है:–

1– शर्त सं0 03(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 6.551 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम कुण्डी सिविल खसरा नं0 1595 रकवा 5.035 है0, खसरा 1600 रकवा 0.421 है0, खसरा नं0 1601 रकवा 0.133 है0, खसरा नं0 1612 रकवा 0.678 है0, खसरा नं0 1621 रकवा 0.284 है0 में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षकउत्तराखण्ड के पत्र सं0 972/3–5–2(II) दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2020–21 के लिये निर्धारित दर रू0 337,184.00 के अनुसार 6.551 है0 @ 337184.00= 22,08,892.00(रू0 बाईस लाख आठ हजार आठ सौ बयानबे) मात्र जमा की की जानी है।

2. शर्त सं0 4(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार 3.275 है0 दर 657000.0= रू0 21,51,675.00 (रू0 इक्कीस लाख इक्कावन हजार छ: सौ पिचत्तर) जमा की जानी है।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये का कष्ट करे। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीयवनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 07-09-2020

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6138079358
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/111/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PMGSY Division, PWD KaranprayagChamoli
Amount(in Rs)	4360567/-

Amount in Words :Forty-Three Lakh Sixty Thousand Five Hundred and Sixty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896138079358 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 07-09-2020

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6138079358
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/111/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PMGSY Division, PWD Karanprayag Chamoli
Amount(in Rs)	4360567/-

Amount in Words :Forty-Three Lakh Sixty Thousand Five Hundred and Sixty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896138079358 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Scanned by CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून–248001
दूरभाशः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/111/2019/एफ0सी0/884 दिनांकः 7/08/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :जनपद – चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 731/x-4-19/1(78)/2019 दिनांक 01.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/38079/2019 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.07.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई हैं। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – **जनपद – चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.551 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम कुण्डी सिविल खसरा नं0 1595 रक्बा 5.035 हे0 , 1600 रक्बा 0.421 हे0, 1601 रक्बा 0.133 हे0, 1612 रक्बा 0.678 हे0, 1621 रक्बा 0.284 हे0 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

   ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

   ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

   घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.275 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

Scanned by CamScanner

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 206 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
6. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
21. The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls/terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per plan. Tree felling is not permitted in the muck disposal area and State Govt. will submit the list of trees separately, in muck disposal area.
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in   Phone no-01372–252175

पत्रांक 5710 / 12–1 ,गोपेश्वर,   दिनांक 17 अगस्त 2020।

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड–I
कर्णप्रयाग।

विषय– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुर्णा कुण्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से भीख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है०नाप भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्राग्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ– भारत सरकार एवं वन मंत्रालय के पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/06/111/2019/एफ०सी०/894 दिनांक 07.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस कार्यालय द्वारा माग पत्र प्रेषित की जा रही है –

1– शर्त सं० 03(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 6.551 है० गैर वानिकी भूमि ग्राम कुण्डी सिविल खसरा नं० 1595 रकबा 5.035 है० खसरा 1600 रकबा 0.421 है०, खसरा नं० 1601 रकबा 0.133 है०, खसरा नं० 1612 रकबा 0.678 है०, खसरा नं० 1621 रकबा 0.284 है० में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र सं० 972/3–5–2(II) दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2020–21 के लिये निर्धारित दर रू० 337,184.00 के अनुसार 6.551 है० @ 337184.00= 22,08,892.00(रू० बाईस लाख आठ हजार आठ सौ बयानबे) मात्र जमा की की जानी है।

2 शर्त सं० 4(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं० 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार 3.275 है० दर 657000.0= रू० 21,51,675.00 (रू० इक्कीस लाख इक्कावन हजार छः सौ पिचत्तर) जमा की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त माग पत्र को ऑन लाईन, अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये का कष्ट करें। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,
(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीयवनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

भुगतान पत्रावली सं0 चमोली
के पृष्ठ सं 0 13 पर अनुमोदित

Paid Vide Ch. No. 596405
Dated 7-10-20 Amt. 4360567

Passed for Rs. 4360567
(Rupees
By Cash.......... Rs.
By Cheque........Rs. 4360567
10-2020
Executive Engineer
URRDA, Dehradun

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

– आदेश –

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.275 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 6.55 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/111/2019/एफ0सी0/884 दिनांक 07.8.2020 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार उप जिलाधिकारी चमोली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.275 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम कुण्डी प0वृ0 मोख, तहसील घाट की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–13 के खसरा सं0–1595 रकबा 5.035 है0, खसरा सं0–1600 रकबा 0.421 है0, खसरा सं0–1601 रकबा 0.133 है0, खसरा सं0–1612 रकबा 0.678 है0 एवं खसरा सं0–1621 करबा 0.284 है0 अर्थात कुल 6.551 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(4) भीटा के रूप में दर्ज है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II) /2012–18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

YEAR (2020-2021)
DISTRICT NO. XXVI-5
REGISTER 992 SERIAL NO. 12
DATE 27-10-2020

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 759 /छब्बीस–5 (2020–2021) गोपेश्वरः दिनांकः 27 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली/घाट।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. उप प्रबन्धक, पी0आई0यू0, एन0पी0सी0सी0 लि0, देहरादून।

जिलाधिकारी,
चमोली।

28/10/2020

Scanned by CamScanner

[illegible] NZA [illegible]

[illegible] घाट [illegible]

[illegible] 10 (ii) - [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	15 से 21
-	13	[illegible]	-	351	0.083		[illegible] 757/28.5 (2020-21) दि० 27/1/2021 [illegible] 1595 रकबा 5.035 हे० 1600 रकबा 0.1121 हे० 1601 रकबा 0.133 हे० 1612 रकबा 0.678 हे० एवं 1621 रकबा 0.284 हे० कुल 6.551 हे० [illegible]
				355	0.029		
				835	0.056		
				836	0.015		
				xxx	xxx		
				xxx	xxx		
				xxx	xxx		
				xxx	xxx		
				1595	5.035		
				1600	0.1121		
				1601	0.133		
				1612	0.678		
				1621	0.284		
				1626	0.063		
				1632	0.032		
				1680	0.501		
				1769	0.141		
				1829	0.078		
				1843	0.870		
				1864	1.377		
				1874	1.987		
				1875	0.359		
				1891	1.798		
				1931	1.121		
		योग		38	17.288 हे०		

नोट: [illegible] NZA [illegible] की जाती है।

09/11/2020
कुलदीप शाह
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...Mokh......
तहसील-घाट(चमोली)

Scanned by CamScanner

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत धुर्मा कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु 6.551है0 सिविल सोयम सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुण्डी में वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। सन् 1893 की राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है, तथा जिलाधिकारी चमोली की पत्र सं0 759/छब्बीस–5(2020–21) दिनांक 27.10.2020 से उक्त भूमि की अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस हेतु इस भूमि पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किय जाने की आवश्यकता नही है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned by CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून–248001
दूरभाश: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 111 / 2019 / एफ0सी0 / 884 दिनांक: 7 / 08 / 2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 731/x-4-19/1(78)/2019 दिनांक 01.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/38079/2019 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.07.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – **जनपद – चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.551 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम कुण्डी सिविल खसरा नं0 1595 रक्बा 5.035 हे0 , 1600 रक्बा 0.421 हे0, 1601 रक्बा 0.133 हे0, 1612 रक्बा 0.678 हे0, 1621 रक्बा 0.284 हे0 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
   ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
   ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
   घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **3.275** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 206 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
6. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
21. The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls/terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per plan. Tree felling is not permitted in the muck disposal area and State Govt. will submit the list of trees separately, in muck disposal area.
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में धुर्मा –कुण्डी मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.275 हे. वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

भू–वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
लो.नि.वि.	लो.नि.वि.	लो.नि.वि.	प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग

23/05/17

Ex.E. P.M.G.S.Y Division
P.W.D. Karanprayag

84 / 10

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रूद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
कर्णप्रयाग।

पत्रांक: 391 / जि0टा0फो0 / मोटर मार्ग / 2015–16, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

विषय: **जनपद चमोली, विकासखण्ड घाट मे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 396 / 2015 के अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 02 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 3444 / 2 सी0, दिनांक 31.10.2015, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली / रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त समरेखण स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर सर्वेक्षण आख्या सुलभ संदभार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक : / जि0टा0फो0 / मोटर मार्ग / 2015–16 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :
1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

नि0आ0सं0–391/जि0टा0फो0च0/रू0/मोटर मार्ग/2015–16

जनपद चमोली, विकासखण्ड घाट मे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 396/2015 के अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 02 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग के पत्र संख्या 3444/2 सी0, दिनांक 31.10.2015, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली, विकासखण्ड घाट मे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 396/2015 के अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 02 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम मे उक्त स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री परमानन्द देवराड़ी, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग व श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, प्रधान प्रतिनिधि, मोखमल्ला की उपस्थिति मे सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है :–

प्रश्नगत समरेखण निर्माणाधीन धुर्मा–कुन्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 2.000 से मोखमल्ला तक 05 कि0मी0 लम्बाई के निर्माण हेतु प्रस्तावित है। उक्त मोटर मार्ग समरेखण लगभग 02 पहाड़ी ढालों पर निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसको मोखमल्ला तक कुल 08 हेयरपिन बैण्ड्स के साथ निर्माण किया जाना है। उक्त मोटर मार्ग पूर्व मे पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत निर्माण हेतु प्रस्तावित था, जिसकी भूगर्भीय निरीक्षण आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या 447/जि0टा0फो0/सड़क–मार्ग/2010–11, दिनांक 04.02.2011 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी को प्रेषित की गयी।

उक्त समरेखण मुख्य रूप से मोखमल्ला ग्राम के मध्य भूभागों से होकर गुजारा जाना है। मार्ग समरेखण के लगभग नीचे/उत्तरपूरब मे मोख गाढ़ नाले के तल तक एक तीव्र उभार लिए हुये दो सैगयुक्त भूभाग हैं। समरेखण मे सामान्य पहाड़ी ढाल प्रारम्भ मे 30^0-40^0, मध्यम 20^0-25^0 व कतिपय स्थलों पर लगभग 25^0-30^0 तीव्रता का है जो कि दक्षिणपश्चिम व दक्षिणपूरब फेसिंग के पहाड़ी ढालों पर विद्यमान है। स्थल के प्रारम्भ में भूरे लाल रंग की मृदा, चट्टानों के टुकड़ों के साथ मिश्रित मलवे की गहराईयुक्त मोटी परत दृष्टिगोचर हो रही है।

समरेखण के प्रारम्भ मे विरल वृक्षों, झाड़ियॉ व स्थानीय घासयुक्त के आवरण है जिसमें 04 हेयरपिन बैण्डस के साथ मोटर मार्ग निर्माण किया जाना है जो कि लगभग 01 पहाड़ी ढाल से होकर गुजर रहा है। उक्त के मध्य मोटर मार्ग समरेखण हेतु पहाड़ी ढाल की सतह पर स्वस्थानें चट्टानों का प्रथम दृष्ट्या पूर्ण अभाव पाया गया जिसमें मृदा व चट्टानों के फ्रेगमेन्ट्स मिश्रित मलवे के रूप मे विद्यमान हैं, स्वस्थानें चट्टानें अधिक गहराई मे विद्यमान हो सकती हैं। आगे मोटर मार्ग समरेखण सीढ़ीनुमा कृषियुक्त भूभाग के मध्य से होकर गुजारा जाना है जिसमें अपस्लोप व डाउनस्लोप मे ग्रामीणों के आवासीय भवन विद्यमान हैं। उक्त समरेखण मे सतह पर स्वस्थानें चट्टानों के आउटक्रॉप का अभाव व अधिकांश क्षेत्र मृदा बाहुल्य क्षेत्रों के रूप मे विद्यमान हैं, जिसमें मृदा कटाव के पश्चात्

वर्षाकाल के दौरान मृदा अपरदन की सम्भावना हो सकती है, जिसके लिए आवश्यक सिविल भूअभियांत्रिकी मेहजर्स का उपयोग किया जाना उचित होगा।

उक्त समरेखण स्थल की अधोभूमि स्थित चट्टानें हिमालयी भूगर्भीय साहित्य में अल्मोड़ा समूह में वर्गीकृत की गयी हैं। स्थल की अधोभूमि व समीपवर्ती चट्टानों की प्रसार व नति $290^0/35^0$ उत्तरपूरब है जो कि कतिपय स्थलों पर पहाड़ी ढाल के समान्तर विद्यमान है। उक्त चट्टानें हल्की, भूरी व सफेद, मध्यम से महीन कणोंयुक्त बैंडेड प्रकृति की क्वार्टजिटिक प्रकृति की हैं जो कि कतिपय सतहों में कैल्केरियस प्रकृति भी दृष्टिगोचर होती है। उक्त चट्टानें थिन बैडिंग प्लेन के साथ ज्वाइंटेड प्रकृति की विद्यमान हैं।

सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण स्थल भारतीय सीजमिक मानचित्र में सक्रिय भूकम्पीय जोन में अवस्थित होने के कारण सूक्ष्म तथा अन्य तीव्र भूकम्पीय कम्पन्नों से प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नही जा सकता है।

विचारणीय बिन्दु :

उक्त मार्ग समरेखण मे पहाड़ी ढालों पर हेयरपिन बैण्ड्स की संख्या कम होने से समरेखण के स्थायित्व मे वृद्धि की जा सकती है। साथ ही प्रारम्भ मे 04 हेयरपिन बैण्ड्स वाले पहाड़ी ढाल पर कटाव के साथ ही स्थल के एंगिल ऑफ रिपोज को भी संरक्षित किया जाय।

समरेखण स्थल पर किसी भी निर्माण/कटान से पूर्व निम्न सुझाव एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

1. प्रश्नगत स्थल पर किसी भी निर्माण से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में निहित प्रावधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जाय।
2. समरेखण के मध्य पड़ने वाले बरसाती नालों को पक्का कॉजवे बनाकर इस प्रकार संरक्षित/संचारित किया जाय जिससे कि सतही जल से मार्ग की सतह एवं आधार को क्षति न पहुँचे।
3. समरेखण में बनाये जाने वाली सुरक्षा दीवारों/टो वाल, ब्रेस्टवाल व रिटेनिंग वाल (वीप होल्स व स्क्रीनिंग मटिरियल युक्त) के आधार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित स्थलों में जल निकासी की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि जल, दीवार के आधार की ओर न जाने पाय तथा ढालदार क्षेत्र के सतही एवं अन्तः सतही जल को चैनलाइज करने हेतु उचित प्रबन्ध किये जांय।
4. भूकटाव के शीघ्र बाद अथवा वर्षाकाल से पूर्व अथवा कटाव के तुरन्त बाद सुरक्षा धारक दीवार का निर्माण करना आवश्यक होगा जिससे कि अन्दरूनी पहाड़ी ढाल के धसांव को कम किया जा सके।
5. रिटेनिंग वाल व ब्रेसवाल को भूकम्परोधी तकनीक में सेफ्टी फेक्टर के समाकलन के उपरान्त ही पर्याप्त सुरक्षा मेहजर्स के साथ निर्मित किया जाय।

6. चूंकि लगभग सम्पूर्ण समरेखण स्थल मृदा बाहुल्य क्षेत्र के रूप मे विद्यमान है अतः स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित सिद्धान्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

7. मोटर मार्ग समरेखण कटाव से उत्सर्जित मलवा, पहाड़ी ढालों पर कदापि न फैलाया जाय। उत्सर्जित मलवे को दूर किसी सुरक्षित स्थल पर बिछाया/एकत्रित किया जाय ताकि मड फ्लो व भूस्खलन/भूधसांव से बचा जा सके तथा मोटर मार्ग कटाव के पश्चात, प्रारम्भ के 04 हेयरपिन बैण्ड्स के मध्य भूभाग मे कटाव के पश्चात् शीघ्र ही सुरक्षा धारक दीवारों का निर्माण किया जाय।

8. स्थलों पर रिटेनिंग व ब्रेस्टवाल (वीप होल्स व स्क्रीनिंग मटिरियलयुक्त) का आधार दृढ़ व कठोर ताजा (फ्रेश) चट्टानों अथवा मृदा बाहुल्य क्षेत्र होने पर उचित तकनीक के साथ रखना आवश्यक होगा।

9. मोटर मार्ग समरेखण के सतही जल प्रवाह को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढग से नियन्त्रित कर कॉजवे स्कपर व सुरक्षित स्थल/नालों में छोड़ा जाय।

10. समरेखण स्थल पर भूस्खलन/भूधसांव से बचने के लिए मार्ग समरेखण कटाव मे विस्फोटकों का प्रयोग वर्जित होगा।

11. मोटर मार्ग समरेखण कटाव के पश्चात् अपस्लोप व डाउनस्लोप मे वृक्षारोपण, तीव्र उगने वाली, चौड़े पत्तियों तथा घनी जड़ो वाले पौधों का रोपण सतही जल प्रवाह व अधोभूमि जल रिसाव (पोर प्रेशर) को कम करने मे सहायक होगा।

12. पर्वतीय क्षेत्रों मे मोटर मार्ग निर्माण के लिए प्रस्तावित सिविल भूअभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।

प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण स्थल पर एकत्रित किए गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त विचारणीय बिन्दु, सुझाव एवं शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर समरेखण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों मे मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।

(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

महत्वपूर्ण

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

संख्या: 5610 /पी3–14(Hab)/यू.आर.आर.डी.ए./18 दिनांक: 31 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 से अधिक जनसंख्या की बसावटें, जो कोर नेटवर्क में त्रुटिवश संयोजित दर्शायी गयी है, किन्तु वास्तव में धरातलीय स्तर पर असंयोजित है, ऐसी 93 चिन्हित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गो से संयोजित करने हेतु संलग्न परिशिष्ट–'क' के अनुसार 86 मोटर मार्ग, अनुमानित लम्बाई 529.31 किमी0 की सूची तैयार की गयी है। इन मार्गो के विस्तृत सर्वेक्षण तथा मार्गो के समरेंखण में पड़ने वाली वनभूमि एवं नापभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व राजस्व विभाग को प्रेषित किये जाने एवं एन0आर0आर0डी0ए0, भारत सरकार के अद्यतन निर्देशानुसार डी0पी0आर0 गठन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है। डी0पी0आर0 गठित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मार्ग का समरेंखण कोर नेटवर्क के अनुरूप हो, यदि समरेंखण कोर नेटवर्क के अनुरूप नही है, तो सम्बन्धित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिलाधिकारी एवं मा0 सांसद महोदय से समरेंखण का सत्यापन तथा सर्वे ऑफ इण्डिया के मानचित्र में मार्ग के समरेंखण की स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर नेटवर्क संशोधन प्रस्ताव Geo-Tagged Photographs & .kml file तत्काल उपलब्ध कराते हुए डी0पी0आर0 गठित की जायें। तत्पश्चात् इन मार्गो के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होने पर पृथक से ज़ारी की जायेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक: यथोपरि।

प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, कुमांऊ क्षेत्र, अल्मोड़ा एवं गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनभूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ, चम्पावत, चमोली, टिहरी, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), उत्तराखण्ड।

प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

Scanned by CamScanner

(7)

एस./आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित

SO 9001:2008 CERTIFIED

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
(ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

National Rural Roads Development Agency
(Ministry of Rural Development, Govt. of India)
5th Floor, 15-NBCC Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066

Dr. I.K. Pateriya
Director (Technical)
Tel No: 26179557
Fax No: 26179555
Email: lk.pateriya@nic.in

LR# NRRDA-P012(14)/1/2018-[illegible](Tech)

Date: 28.06.18

References:
1. Letter No. 113 (A)/P-19(CN Correction)/URRDA/18 dated 19.04.2018
2. Email dated 16.05.2018
3. Letter no. 490/P-19(CN Correction)/URRDA/18 dated 26.05.2018
4. Letter No. 594/P-19(CN Correction)/URRDA/18 dated 04.06.2018

Sir,

This has reference to letters as detailed in references requesting to sanction the roads in order to provide connectivity to 93 habitations which were wrongly shown as connected and also wrongly located during the preparation of Core Network.

2. In this regard, State has submitted Geo-tagged photographs and .kml file for the roads. The same has been verified and the observations of NRRDA have been communicated to State. The State has submitted compliance on the observations of NRRDA and requested to issue necessary permission to correct the connectivity status of those 113 habitations from 'Connected' to 'Unconnected' in CN and OMMAS as well and also requested permission to prepare and submit the DPRs for connecting those 113 habitations under PMGSY.

3. In view of the above, I am directed to inform that with the approval of competent authority the request of the state has been agreed to. You are requested to get the approval from the Gram Panchayat, Zilla Panchayat and SLSC for such revisions in due course and a copy of the same should be shared with NRRDA/MoRD.

4. Further state is requested to update the Core Network DATA on Maps as well as on OMMAS and also upload the proposals on OMMAS.

This if for information and further necessary action at your end.

Thanking You,

Yours sincerely,

RPateriya
(I.K. Paleriya)

Shri K.K. Srivastava,
Chief Engineer, PMGSY
URRDA, Ist Floor, Directorate of Panchayati Raj,
Opp. I. T. Park, Sahastra Dhara Road, Dehradun,
UTTARAKHAND

Scanned by CamScanner

District	Block	Details of Connected Habitation as per Core Network			As per Core Network Alignment		Modified Alignment	
		Habitation Name with Population	Census Code	Habitation Code	Name of Road with Road No	Length (Km)	Name of Proposed Road	Approx. Length (Km)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Chamoli	Joshimath	Subhai (526)	77900	526	Joshimath- Malari motor road (T02) SH 58	61.30	Tapovan to reengi Bhavi-bhyalwari km 5.00 to Subhai Motor road	5.00
Chamoli	Dewal	Deosari (638)	165600	268	Gwaldam -Nandkeshri Motor Road (L030)	1.00	Nandkeshri-Gwaldam Motor Road Km 04 to Deosari Motor Raod	9.00
Chamoli	Karanprayag	Siran (583)	00117600	10	Delhi-Rishikesh Badrinath Mana Motor Road, T01 (NH 58)	37.00	Chatigyala (chatwa pipal) to Siran Motor Road	7.00
Chamoli	Ghat	Lakhee (1359)	00101400	351	Ghat to Tharali Motor Road L035	16.50	Ustoli to Sarpani Lakhee Motor Road	8.00
Chamoli	Ghat	Sarpani (502)	00101000	347				
Chamoli	Ghat	Syari (1102)	00102100	358			Ghat Tharali Motor Road KM 13 to Syari Motor Road	3.00
Chamoli	Ghat	Jakhni (645)	00095500	273	Nandprayag Ghat Motor Road. T01(ODR)	9.00	Nandprayag Ghat Motor Road KM 15 to Jakhni Motor Road	4.50
Chamoli	Joshimath	Tangni Malli (325)	73600	325	Delhi-Gaziabad-Haridwar -Joshimath-Mana motor road T02(NH 58)	83.00	Tangani Talli to Tangani Malli Motor Road	3.00
Chamoli	Gairsain	Kolani (305)	193400	138	Bungidhar Mehalchauri-Bachuwabaan Motor Road (T01) ODR	54.50	Kot-Lambager motor Road (L027) Km 04 to Kolani Motor Road	1.00
Chamoli	Ghat	Mokh Malla (612)	00102100	341	Sera Ashid to Narayan Bhagar, L037	5.00	Dhuma Kundi Motor Road KM 2 to Mokh Malla Motor Road	5.00
Tehri	Bhilangana	Kot (278)	00291800	150	Ghansli-Panwali-Akhori Motor Road L022	38.35	Ghansli-Panwali-Akhori Rd. KM 16 to Kot Motor road	8.00
Tehri	Bhilangana	Kothar (405)	00277200	134	Ghansali-Ghuttu Motor Road L040	31.30	Ghansali-Ghuttu Rd. KM. 14 to Kothar Motor Road.	3.00
Tehri	Bhilangana	Dyunj (269)	00275500	67			Ghansali-Ghuttu Rd. KM. 30 to Dyung Motor Road.	2.50
Tehri	Bhilangana	Veena (279)	00272800	267			Ghansali-Ghuttu Rd. KM. 26 to Veena Motor Road.	6.00
Tehri	Thauldhar	Gojmer (452)	412500	55	Chamba-Dharasu Motor Road T02 (SH 53)	25.00	Chamba-Uttarkashi Motor Road Km. 72.00 (Piple Mandi) to Gojmer	5.00
Tehri	Bhilangana	Torkhand (274)	00286800	260	Chamba-Dharasu Motor Road T02 (SH 53)	25.00	Ghansali-Tilwara MR to Torkhand Motor road	1.00
Tehri	Jaunpur	Rigalpani (105)	384000	115	Raipur - Kumalda to Kaddu Khal Motor Road T02 (ODR)	64.28	R K K. Motor Road Km 41.00 to Ringal Garh Motor Road.	6.00
Tehri	Jaunpur	Satengal (674)	383900	151			R K K. Motor Road Km. 35.00 to Sategal Motor Road.	7.00

Scanned by CamScanner

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.275 है0 का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रांलय, नई दिल्ली के आदेश सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:–

1– ईको क्लास श्रेणी– V

2– हरियाली का घनत्व– 0.3 (Open Forest)

3– एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रू0– 6,57,000.00

4– आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल– 3.275 है0

5– कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि– रू0 21,51,675.00

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में धुर्मा —कुण्डी मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.275 हे. वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

03/05/17

अमीन लो.नि.वि.	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

Ex.E. P.M.G.S.Y Division
P.W.D. Karanprayag

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

प्राक्कलन वावतः– जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखण्ड घाट के धुर्माकुण्डी से मोख मल्ला (लम्बाई 5.00 किमी0) के निर्माण हेत

2– वृक्षारोपण स्थल का नाम :– कुण्डी ~~मोख मल्ली~~ (सिविल भूमि)

3– क्षेत्रफल :– परियोजना का क्षेत्रफल X 2 = (3.275X2) = 6.55 है0

4– रोपित किये जाने वाले कुल पौधो की संख्या (कुल क्षेत्रफल x 2000) = 13100 पौधे

5– रोपित की जाने वाली प्रजातियॉं:– बांज, काफल, पदम, अखरोट, आदि

वन क्षेत्राधिकारी ... गोपेश्वर

क0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0) प्रति	योग
1	2	3	4	5	6
(1)	प्रथम वर्श अग्रिम मृदा कार्य :–				
1.	सर्वे एवं सीमांकन	6.55	है0	115.00	753.25
2.	स्थल सफाई कार्य	6.55	है0	3730.00	24431.50
3.	दीवालबन्दी कार्य / फैन्सिंग(150मी0प्र0 है0 = 81 घ0 मी0 @477/– घ0 मी0 1800x0.45x1.20	6.55	है0	38637.00	253072.35
4.	गड्ढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)रेंखांकन चूना सहित	13100.00	गड्ढे	7.95	104145.00
5.	डी0ए0पी0 खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा	327.50	किग्रा0	12.50	4093.75
6.	पौध की कीमत (प्रथम वर्श)	13100.00	पौधे	6.20	81220.00
7.	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है0) के आधार मानते				
	1– वानस्पतिक चैकडैम 15x6725 = 100875.00	6.550	है0	59607.00	390425.85
	2– स्टोन चैक डेम 40x6725 = 269000.00				
	3– वाटर हरवेस्टिंग टैंक (3x2.50x10) 30x7540 = 226200.00				
	योग = 596075.00				
9.	निरीक्षण बटिया बनाना	6.550	है0	915.00	5993.25
	योग – प्रथम चरण :–				864134.95
(2)	द्वितीय वृक्षा रोपण कार्य				
1	सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थ हटाना	6.550	है0	5000.00	32750.00
2	गड्ढा भरान कार्य डी0ए0पी0 मिलाने सहित	13100	गड्ढे	1.42	18602.00
3	डी0ए0पी0 मिलाने सहित व कय	13100	पौध	1.42	18602.00
4	पौध ढुलान कार्य	13100	पौधे	9.00	117900.00
5	पौध रोपण कार्य	13100	पौधे	2.77	36287.00
6	पौधों की प्रथम निराई –गुडाई मलचिंग कार्य	13100	पौधे	1.89	24759.00
7	पौधों की द्वितीय निराई–गुडाई एवं मलचिंग कार्य	13100	पौधे	1.63	21353.00
8	पौधों की कीमत द्वितीय वर्श	13100	पौधे	1.80	23580.00
9	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्श रोपण वर्श) 7 माह	6.550	है0	685	31407.25
10	साईन बोर्ड आदि कय	6.550	ल0स0	3500	22925.00
11	सरक्षा दिवाल/घेरबाड के वारह 4.00 मी0 पटटी साफ करना	6.550	ल0स0	3000	19650.00
	योग द्वितीय चरण :–				367815.25
(3)	तृतीय वर्श 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीटिंग अप) प्रति है0				10480.00
1.	पौध की लागत	1310	पौधे	8.00	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6
2.	पौध ढुलान कार्य	1310	पौधे	9.00	11790.00
3.	पूनः गड्ढा खोदना एवं रोपण कार्य	1310	पौधे	4.40	5764.00
4.	गड्ढो में गोबर खाद डालना लागत सहित	1310	पौधे	1.95	2554.50
5.	पौधों की भीतकालीन मलचिंग	1310	पौधे	1.63	2135.30
6.	वनीकरण चौकीदार (12 माह) 1 वर्श	6.550	है0	685.00	53841.00
7.	अग्नि सम्बंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	13100.00
	योग तृतीय चरण :–				***99664.80***
(4)	**चतुर्थ वर्श (रखरखाव कार्य)**				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000	13100.00
	योग चतुर्थ चरण :–				***66941:00***
(5)	**पंचम वर्श (रखरखाव कार्य)**				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685.00	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000	13100.00
	योग पंचम चरण :–				***66941.00***
(6)	**सष्ठम वर्श (रखरखाव कार्य)**				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685.00	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	13100.00
	योग सष्ठम् चरण :–				***66941.00***
(7)	**सप्तम वर्श (रखरखाव कार्य)**				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685.00	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	13100.00
	योग सप्तम् चरण :–				***66941.00***
(8)	**अष्ठम् वर्श (रखरखाव कार्य)**				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685.00	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	13100.00
	योग अष्ठम् चरण :–				***66941.00***
(9)	**नवम् वर्श (रखरखाव कार्य)**				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685.00	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	39300.00
	योग नवम् चरण :–				***93141.00***
(10)	**दशम् वर्श (रखरखाव कार्य)**				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	6.550	है0	685.00	53841.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	2000.00	13100.00
	योग दशम् चरण :–				***66941.00***
	सम्पूर्ण योग:–				***1826402.00***

Checked For Rs 1826402/–

D/Man
Forest

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम– बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम– जनपद चमोली में धुर्मा –कुण्डी मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.275 हे. वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 26.10.16.. को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

क0 सं0	ब्लाक	प्रजाति 0–10	व्यास वर्ग 10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	योग
1	घाट	बांज	02	77	23	03	01	01	02	01	Nil	190
											कुल	190

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है। क्योंकि मोटर मार्ग हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। मार्ग दूरस्थ एवं पिछडे क्षेत्र की जनता के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः मार्ग हेतु 190.00 बांज वृक्षों के पातन की संस्तुति की जाती है। उक्त वृक्षों का पातन वन विकास निगम के द्वारा वन विभाग के शैड्यूल रेट पर नियमानुसार देय बिकी कर अदा करने पर किया जायेगा। नोट: - उपरोक्त में से 10-20 व्यास के 03 वृक्ष तथा 20-30 व्यास के 05 वृक्ष नाप खेतों में हैं। वृक्षों की गणना 12मी. चौड़ाई में की गई।

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग
03/05/17

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

P.W.D. Karanprayag

वन संरक्षक

Scanned by CamScanner

संयुक्त निरीक्षण

कार्य का नाम: जनपद चमोली के अन्तर्गत थुमी कुहेड़ी मोटरमार्ग [illegible] में आने वाले वृक्षों की गणना सूची (वृक्षों की गणना 7 मी० चौड़ाई में की गई)

प्रस्तावित विभाग: प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० कर्णप्रयाग, जनपद चमोली [illegible]

प्रभागीय वनाधिकारी महोदय बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर का पत्रांक

संयुक्त निरीक्षण की तिथि-

भूमि का स्वामित्व	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का व्यास डायमीटर गोलाई												
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	कुल योग		अन्य विवरण
वन भूमि नाप भूमि	चीड़	-	82	77	23	03	01	01	02	01	-	190		10-20 गोलाई वर्ग-3 नाप खेत में
	तेद	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01		वन पंचायत में
	मेहल	-	02	04	02	01	-	-	-	-	-	09		30-40 गोलाई नापखेत
	अंगेर	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	08		वन पंचायत में
	पदम	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	02		दोनों नाप खेत में
	कुलम	-	06	01	-	-	-	-	-	-	-	07		वन पंचायत में
	सिरस	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01		नाप खेत में
	उतीस	-	-	-	06	01	-	01	-	-	-	08		वन पंचायत में
	खिन्नर	-	01	02	-	-	-	-	-	-	-	03		नाप खेत में
	कर्णिक	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01		नाप खेत में

कुल योग - 223 वृक्ष

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

जि० अभि०
लो०नि०वि०

(किशोरसिंह भण्डारी)
वन दरोगा

(राजेन्द्र नैथवाल)
वन आरक्षी

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

नन्दप्रयाग रेंजे के अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 2 से मोखतल्ला तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित वृक्षों की मूल्य सूची

क्र0 सं0	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	धनराशि
1	3	4	5	6	7	8
1	बांज हरा खड़ा	*Quercus leucotrichophora*	10-20	82	163.00	13366.00
			20-30	77	253.00	19481.00
			30-40	23	545.00	12535.00
			40-50	3	1180.00	3540.00
			50-60	1	1989.00	1989.00
			60-70	1	2899.00	2899.00
			70-80	2	3978.00	7956.00
			80-90	1	5281.00	5281.00
		Sub Total		**190**		**67047.00**
2	लोद हरा खड़ा	*Symplocos chynensis*	10-20	1	90.00	90.00
		Sub Total		**1**		**90.00**
3	मेहल हरा खड़ा	*Pyrus pashia*	10-20	2	90.00	180.00
			20-30	4	180.00	720.00
			30-40	2	438.00	876.00
			40-50	1	708.00	708.00
		Sub Total		**9**		**2484.00**
4	अंयार हरा खड़ा	*Andromeda*	10-20	1	90.00	90.00
		Sub Total		**1**		**90.00**
5	पदम हरा खड़ा	*Prunus puddum*	10-20	1	90.00	90.00
			50-60	1	876.00	876.00
		Sub Total		**2**		**966.00**
6	बुरांश हरा खड़ा	*Quercus lanuginosa*	10-20	6	90.00	540.00
			20-30	1	180.00	180.00
		Sub Total		**7**		**720.00**
7	सिरस हरा खड़ा	*Albizia lebbek*	30-40	1	438.00	438.00
		Sub Total		**1**		**438.00**
8	उतीस हरा खड़ा	*Alnus nepalensis*	30-40	6	618.00	3708.00
			40-50	1	1258.00	1258.00
			60-70	1	3405.00	3405.00
		Sub Total		**8**		**8371.00**
9	ढेलका हरा खड़ा		10-20	1	90.00	90.00
			20-30	2	180.00	360.00
		Sub Total		**3**		**450.00**
10	खड़ीक हरा खड़ा	*Celtis australis*	10-20	1	213.00	213.00
		Sub Total		**1**		**213.00**
		Total		**223**		**80869.00**

1

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

Scanned by CamScanner

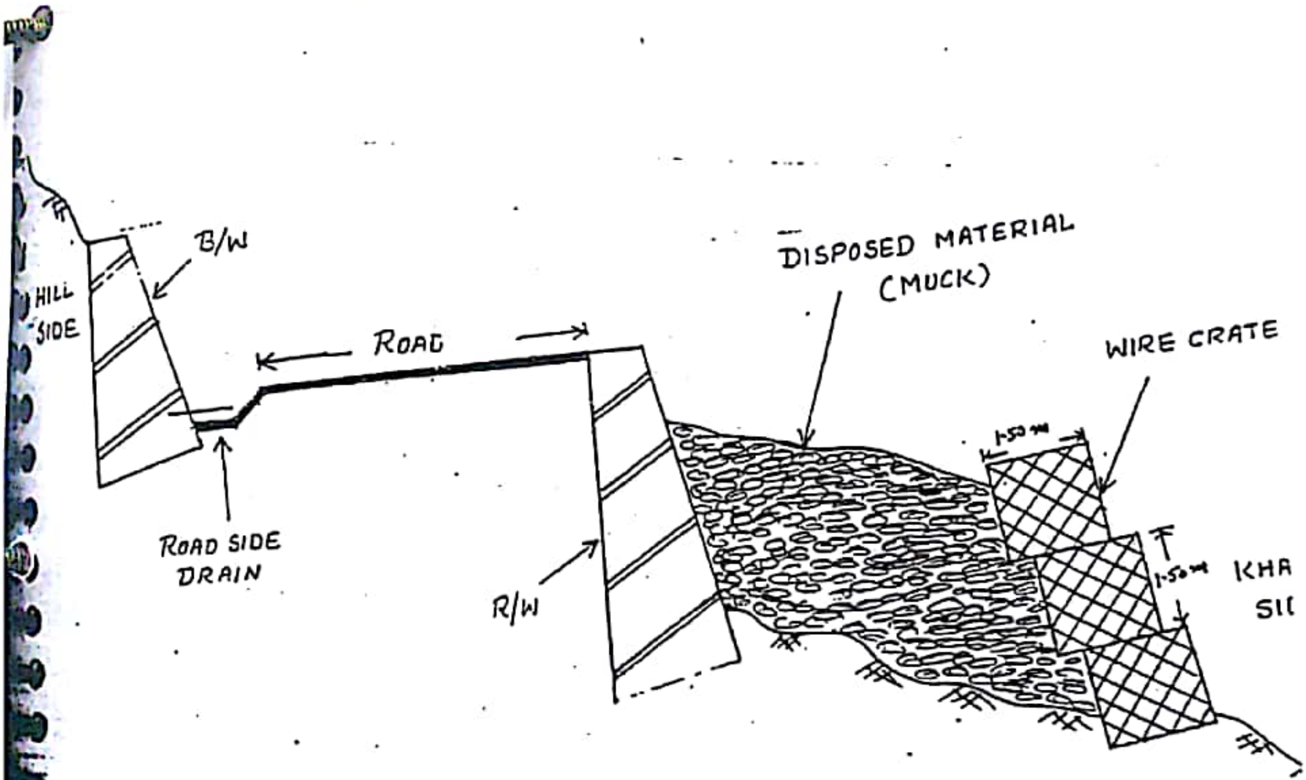

TYPICAL X-SECTION OF MUCK DISPOSAL PLAN

JE

PMGSY DIV

Muck Disposal Plan

Name of work: Construction of Dhurmakundi KM 2 to mokhmalla Motor Road under PMGSY.

Name of Block: Ghat (Chamoli)

Summary of Results

1	The Quantity of material received from hill side cutting I/c soil factor =	68507.60 Cum
2	The quantity of material used in various items =	34175 Cum
3	The remaining quantity of muck for dumping	34332.57 Cum
4	Total Numbers of dumping yards needed for the dumping of muck =	
(i)	In Civil Soyam Land =	6 Nos
(ii)	In Nap Land =	0 Nos
	Total =	6 Nos
5	Carrying capacity of dumping yards with proper dimensions & coordinates	
(i)	In Civil Soyam Land =	34335.07 Cum
(ii)	In Nap Land =	0 Cum
	Total =	34335.07 Cum

Executive Engineer
PMGSY Works

Scanned by CamScanner

Name of work: Construction of Dhurmakundi KM 2 to mokhmalla Motor Road under PMGSY.
Name of Block: Ghat (Chamoli)

Muck Dumping Area Civil land

S. No.	Location of wire-Crate			Type of Land	No.	Size of catchment of wire crate		Area (sqm)	Area (Hect)
	X- section's	Latitude	Longitude			Length (m)	Width (m)		
1	Chainage 0/8 km	30°14.534'	79°24'.069'	Civil Land	1	45.00	21.30	958.50	0.0959
2	Chainage 0/24 km	30°14.559'	79°24'.048'	Civil Land	1	49.50	10.50	519.75	0.0520
3	Chainage 0/35 km	30°5.028'	79°23.590'	Civil Land	1	48.00	17.00	816.00	0.0816
4	Chainage 1/12 km	30°15.142'	79°23.491'	Civil Land	1	43.50	7.50	326.25	0.0326
5	Chainage 2/25 km	30°15.177'	79°23.930'	Civil Land	1	48.00	18.00	864.00	0.0864
6	Chainage 3/10 km	30°14.023'	79°23'.594'	Civil Land	1	74.50	30.50	2272.25	0.2272
Total						**308.50**	**104.80**	**5756.75**	**0.5757**

Executive Engineer
PMGSY Works

Scanned by CamScanner

Name of work: Construction of Dhurmakundi KM 2 to mokhmalla Motor Road under PMGSY.

Name of Block: Ghat (Chamoli)

TOTAL CARRYING CAPACITY OF DUMPING YARD

S. No.	Location of wire-Crate			Type of Land	Size of catchment			Quantity (cum)	Unit
	X- section's	Latitude	Longitude		Length (m)	Width (m)	Height (m)		
1	Chainage 0/8 km	30°14.534'	79°24'.069'	Civil Land	45.00	21.30	3.15	3016.40	Cum
					45.00	21.30	3.08	2952.18	Cum
2	Chainage 0/24 km	30°14.559'	79°24'.048'	Civil Land	49.50	10.50	2.75	1429.31	Cum
					49.50	10.50	3.30	1715.18	Cum
3	Chainage 0/35 km	30°5.028'	79°23.590'	Civil Land	48.00	17.00	2.90	2366.40	Cum
					48.00	17.00	3.00	2448.00	Cum
4	Chainage 1/12 km	30°15.142'	79°23.491'	Civil Land	43.50	7.50	3.00	978.75	Cum
					43.50	7.50	3.10	1011.38	Cum
5	Chainage 2/25 km	30°15.177'	79°23.930'	Civil Land	48.00	18.00	2.90	2505.60	Cum
					48.00	18.00	2.90	2505.60	Cum
6	Chainage 3/10 km	30°14.023'	79°23'.594'	Civil Land	74.50	30.50	3.00	6816.75	Cum
					74.50	30.50	2.90	6589.53	Cum
Total					**617.00**	**209.60**		**34335.07**	Cum

Carrying Capacity of Dumping Yard = 34335.07 Cum

Total Quantity of material to be disposed to the dumping yard = 34332.57 Cum

Hence Safe. 2.50 Cum

Executive Engineer
PMGSY Works

Scanned by CamScanner

Name of work: Construction of Dhurmakundi KM 2 to mokhmalla Motor Road under PMGSY.

Name of Block: Ghat (Chamoli)

Muck Received From Hill Side Cutting

S.No.	Description of work	Quantity	Unit
1	Material received form hill side cutting	54806.08	Cum
	Add 25% for Swell Factor for soil.	13701.52	Cum
	Total	**68507.60**	Cum
	Disposal and use of Material		
2	R.R Stone Masonary Laid in 1:5	4635	Cum
3	R.R Stone Masonary Laid in Dry	6535	Cum
4	Hand packed stone Filling	4817.63	Cum
5	Bolder apron	2778.75	Cum
6	construction of Parapet	42.44	Cum
7	Construction of Scupper	1791.21	Cum
8	material to be used along road side	13575	Cum
	Total used	**34175.03**	Cum

quantity Muck to be disposed at dumping places (i.e Material received - material used) **34332.57** cum

TOTAL 34332.57 Cum

Executive Engineer
PMGSY Works

Scanned by CamScanner

कार्य का नाम:- जनपद चमोली मे दुर्गा-दुवी मोटर मार्ग के किमी० 02 से
मोल्ल मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण

(67)

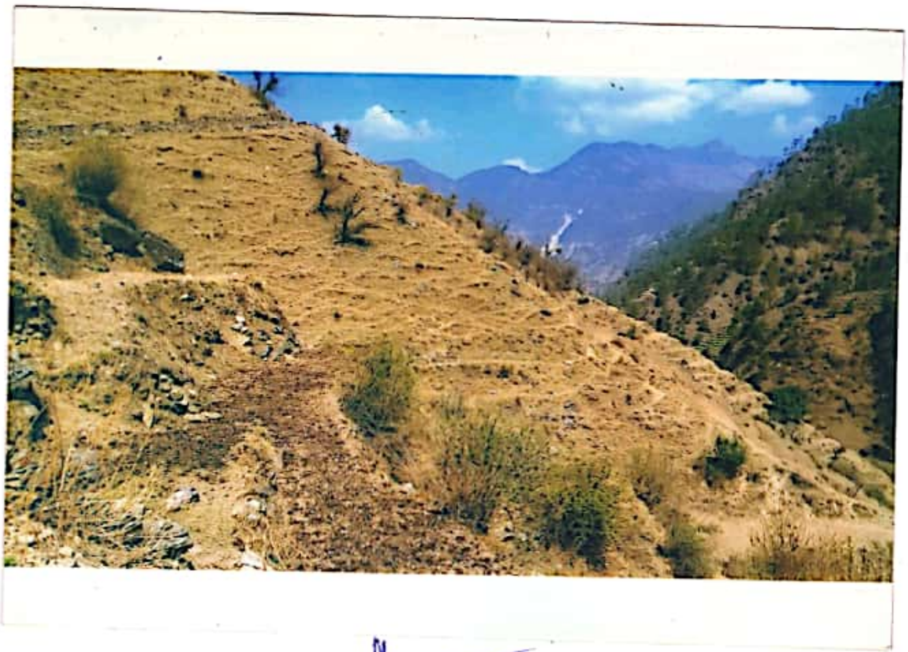

(8)

J.E

AE

EE

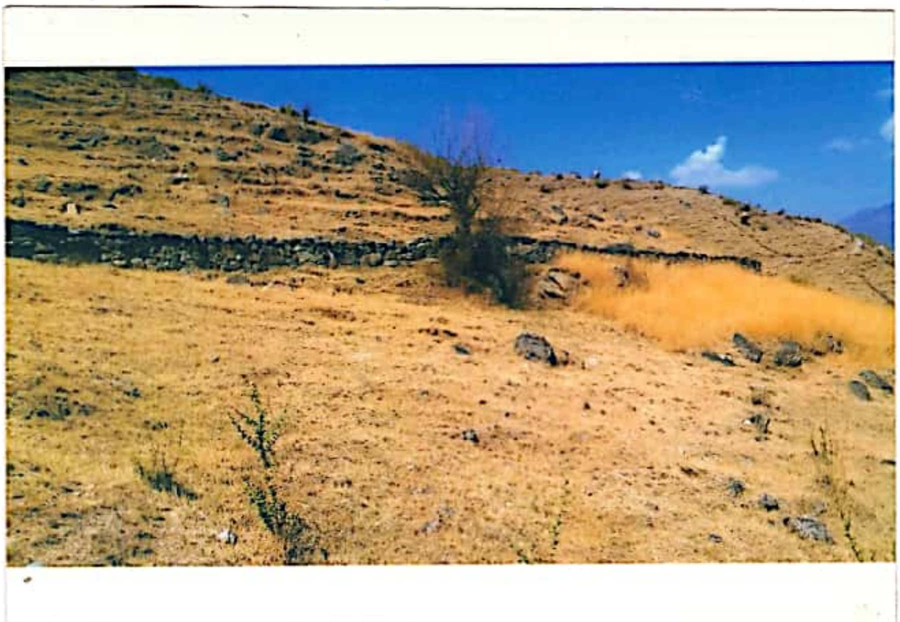

JE

AE

EE

Scanned by CamScanner

कार्य का नाम:- जनपद चमोली में घुर्मा-कुल्डी मोटर मार्ग के किमी० 02 से मोटवा मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण।

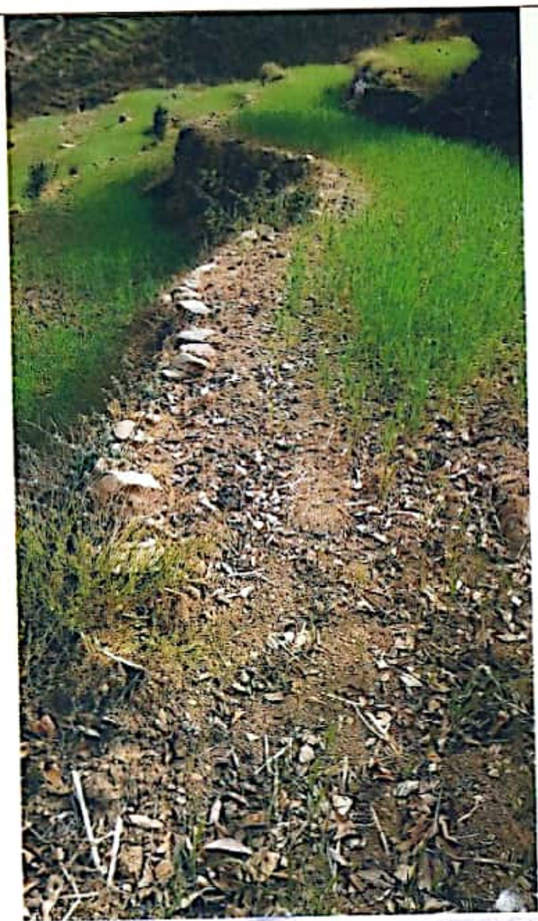

③

J.E AE EE

④

J.E AE EE

कार्य का नाम:- जनपद चमोली मे घुर्मी-कुवी मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से (1) मोल मवला तक मोटर मार्ग का निर्माण। (65)

मकडिस्पोजल हेतु चयनित स्थल

(1)

J.E AE EE

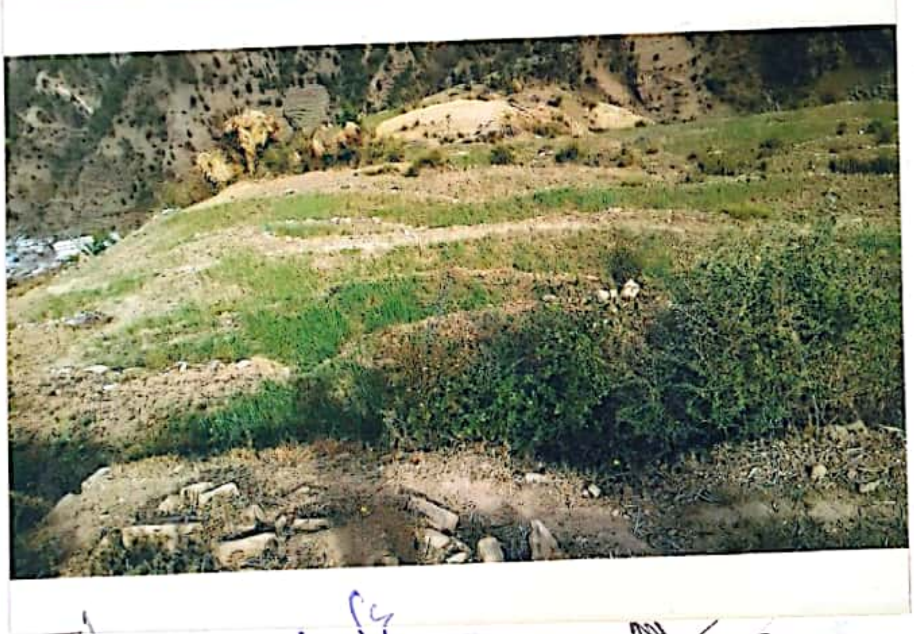

(2)

J.E AE E.E

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
(ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
National Rural Roads Development Agency
(Ministry of Rural Development, Govt. of India)
5th Floor, 15-NBCC Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066

एस./आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित
ISO 9001:2008 CERTIFIED

Dr. I.K. Pateriya
Director (Technical)
Tel No: 26179557
Fax No: 26179555
Email: ik.pateriya@nic.in

Date: 28.06.18

LR# NRRDA-P012(14)/1/2018- -(Tech)

References:
1. Letter No. 113 (A)/P-19(CN Correction)/URRDA/18 dated 19.04.2018
2. Email dated 16.05.2018
3. Letter no. 490/P-19(CN Correction)/URRDA/18 dated 26.05.2018
4. Letter No. 594/P-19(CN Correction)/URRDA/18 dated 04.06.2018

Sir,

This has reference to letters as detailed in references requesting to sanction the roads in order to provide connectivity to 93 habitations which were wrongly shown as connected and also wrongly located during the preparation of Core Network.

2. In this regard, State has submitted Geo-tagged photographs and .kml file for the roads. The same has been verified and the observations of NRRDA have been communicated to State. The State has submitted compliance on the observations of NRRDA and requested to issue necessary permission to correct the connectivity status of those 113 habitations from 'Connected' to 'Unconnected' in CN and OMMAS as well and also requested permission to prepare and submit the DPRs for connecting those 113 habitations under PMGSY.

3. In view of the above, I am directed to inform that with the approval of competent authority the request of the state has been agreed to. You are requested to get the approval from the Gram Panchayat, Zilla Panchayat and SLSC for such revisions in due course and a copy of the same should be shared with NRRDA/MoRD.

4. Further state is requested to update the Core Network DATA on Maps as well as on OMMAS and also upload the proposals on OMMAS.

This if for information and further necessary action at your end.

Thanking You,

Yours sincerely,

RPateriya

(I.K. Pateriya)

Shri K.K. Srivastava,
Chief Engineer, PMGSY
URRDA, Ist Floor, Directorate of Panchayati Raj,
Sahastra Dhara Road, Dehradun,
Opp. I. T. Park, Sahastra Dhara Road, Dehradun,
UTTARAKHAND

District	Block	Detail of Connected Habitation as per Core Network			As per Core Network Alignment		Modified Alignment	
		Habitation Name with Population	Census Code	Habitation Code	Name of Road with Road No	Length (Km)	Name of Proposed Road	Approx Length (Km)
2	1	4	5	6	7	8	9	10
amoli	Joshimath	Subhai (526)	[illegible]	526	Joshimath- Malari motor road (T02) SH 58	61.40	Tapovan reengi bhavishyabadri Km. 5.00 to Subhai Motor road	5.00
amoli	Dewal	Deosari (638)	165600	268	Gwaldam -Nandkashri Motor Road (L030)	4.00	Nandkashri-Gwaldam Motor Road Km 04 to Deosari Motor Raod	9.00
amoli	Karanprayag	Siran (583)	00117600	30	Delhi-Rishikesh Badrinath Mana Motor Road, T01 (NH 58)	37.00	Chatigyala (chatwa pipal) to Siran Motor Road	7.00
amoli	Ghat	Lakhee (1359)	00101400	251	Ghat to Tharali Motor Road, L035	16.50	Usteli to Sarpani Lakhee Motor Road	8.00
amoli	Ghat	Sarpani (502)	[illegible]	247				
amoli	Ghat	Syari (1102)	00102100	258			Ghat Tharali Motor Road KM 13 to Syari Motor Road	3.00
amoli	Ghat	Jakhni (645)	00095500	273	Nandprayag Ghat Motor Road, T01(ODR)	9.00	Nandprayag Ghat Motor Road KM 15 to Jakhni Motor Road	4.50
amoli	Joshimath	Tangni Malli (325)	73600	[illegible]	Delhi-Gaziabad-Haridwar -Joshimath-Mana motor road T02(NH 58)	83.00	Tangani Talli to Tangani Malli Motor Road	3.00
amoli	Gairsain	Kolani (305)	[illegible]	[illegible]	Bungidhar Mehalchauri-Bachuwabaam Motor Road (T01) ODR	54.50	Kot-Lambager motor Road (L027) Km 04 to Kolani Motor Road	4.00
amoli	Ghat	Mokh Malla (612)	[illegible]	[illegible]	Sera Ashid to Narayan Bhagar, L037	5.00	Dhuma Kundi Motor Road KM 2 to Mokh Malla Motor Road	5.00
ri	Bhilangana	Kot (278)	[illegible]	[illegible]	Ghansli-Panwali-Akhori Motor Road L022	38.35	Ghansli-Panwali-Akhori Rd. KM 16 to Kot Motor road	8.00
ri	Bhilangana	Kothar (485)	[illegible]	[illegible]	Ghansali-Ghuttu Motor Road L040	31.30	Ghansali-Ghuttu Rd. KM. 14 to Kothar Motor Road.	3.00
i	Bhilangana	Dyunj (269)	[illegible]	67			Ghansali-Ghuttu Rd. KM. 30 to Dyung Motor Road.	2.50
i	Bhilangana	Veena (279)	[illegible]	267			Ghansali-Ghuttu Rd. KM. 26 to Veena Motor Road.	6.00
	Thauldhar	Gojmer (452)	[illegible]	[illegible]	Chamba-Dharasu Motor Road T02 (SH 53)	25.00	Chamba-Uttarkashi Motor Road Km. 72.00 (Piple Mandi) to Gojmer	5.00
	Bhilangana	Tonkhand (274)	[illegible]	[illegible]	Chamba-Dharasu Motor Road T02 (SH 53)	25.00	Ghansali-Tilwara MR. to Tonkhand Motor road	4.00
	Jaunpur	Rigalpath (445)	[illegible]	[illegible]	Raipur - Kumalda to Kadda Khai Motor Road, T02 (ODR)	64.28	R K K. Motor Road Km. 44.00 to Ringal Garh Motor Road.	6.00
	Jaunpur	Sategal (674)	[illegible]	[illegible]			R K K. Motor Road Km. 35.00 to Sategal Motor Road.	7.00

कि.
र्माण
को
तायात
ार के
स्पोजल

Toposheet Map of Proposed CA Land Tok Kundi Area 6.56 Hectare For Proposed Road Construction of Dhurma-kundi Motor Road KM 2 to Mokhmalla Motor Road under PMGSY Karnaprayaag -II in Chamoli District

0 0.5 1 1.5 Km Scale - 1:50,000 53N/08

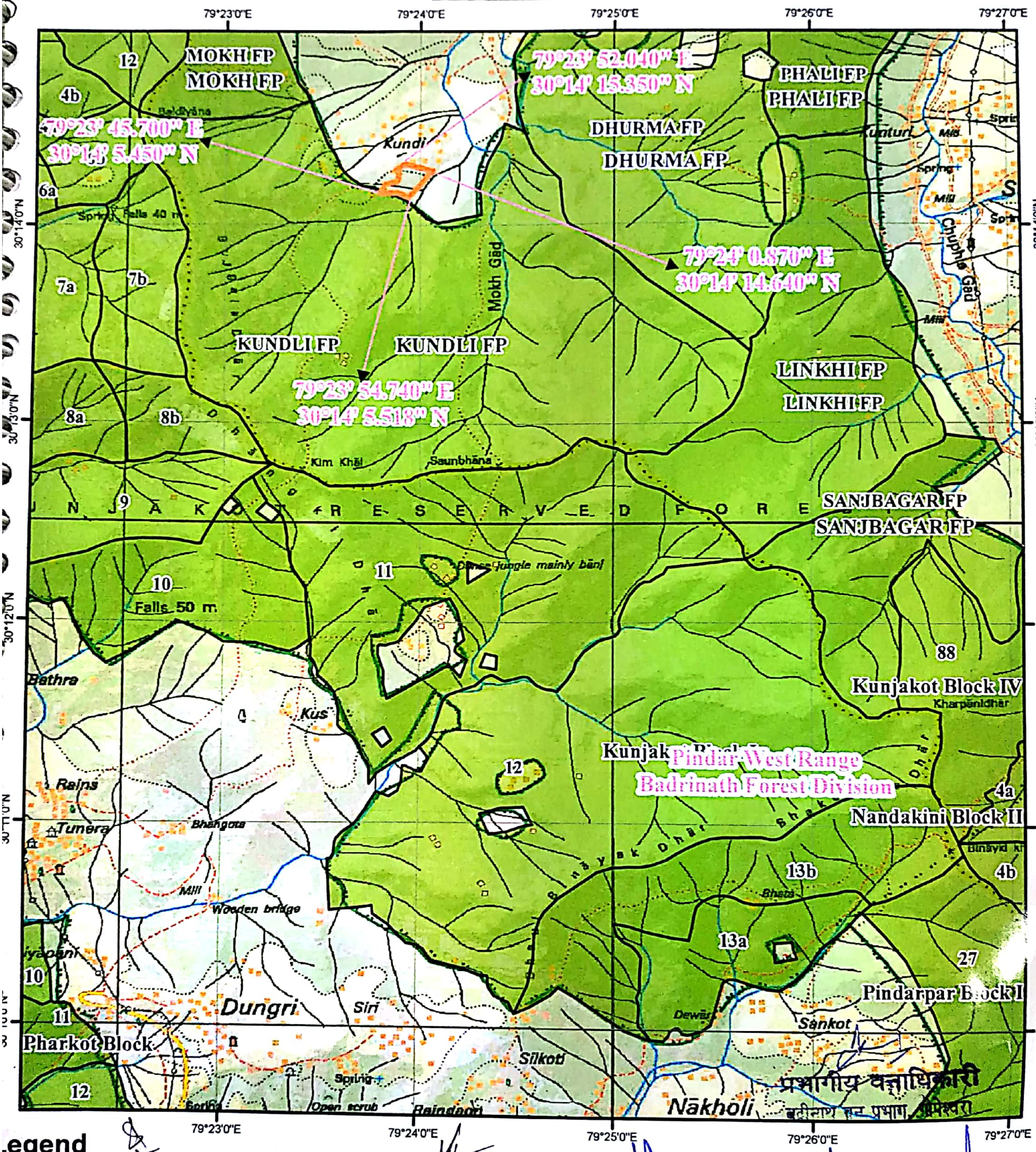

Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

JE(RWD)

(दिलवरलाल)
वन दरोगा

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
...नाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

जिला अधिकारी
चमोली

तहसीलदार
(सदर)
चमोली

Scanned by CamScanner

Geo-Reference Map of Proposed CA Land Tok Kundi Area 6.56 Hectare For Proposed Road Construction of Dhurma-kundi Motor Road KM 2 to Mokhmalla Motor Road under PMGSY Karnaprayaag -II in Chamoli District

0 30 60 120 M

Scale - 1:4,000

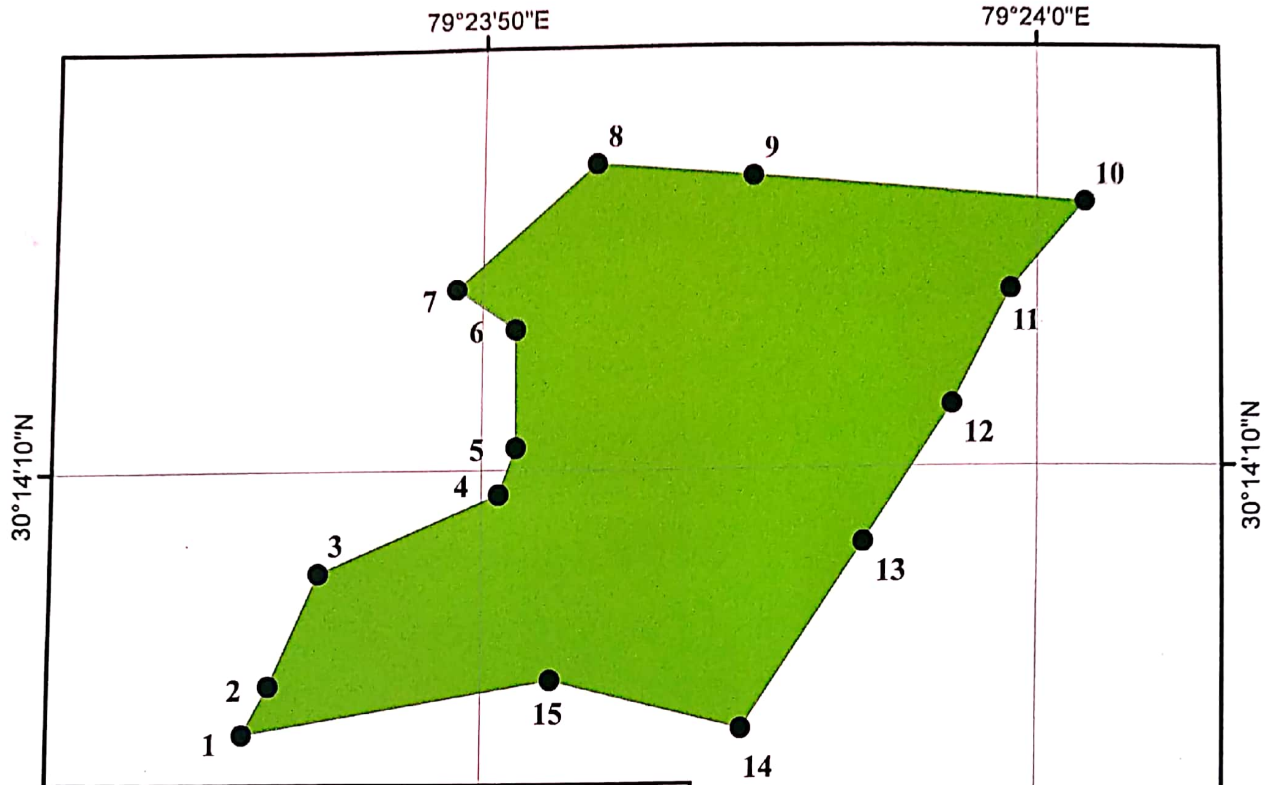

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79°23' 45.700" E	30°14' 5.450" N
2	79°23' 46.160" E	30°14' 6.290" N
3	79°23' 47.050" E	30°14' 8.240" N
4	79°23' 50.310" E	30°14' 9.590" N
5	79°23' 50.620" E	30°14' 10.390" N
6	79°23' 50.590" E	30°14' 12.440" N
7	79°23' 49.520" E	30°14' 13.150" N
8	79°23' 52.040" E	30°14' 15.350" N
9	79°23' 54.867" E	30°14' 15.123" N
10	79°24' 0.870" E	30°14' 14.640" N
11	79°23' 59.530" E	30°14' 13.110" N
12	79°23' 58.470" E	30°14' 11.080" N
13	79°23' 56.910" E	30°14' 8.720" N
14	79°23' 54.740" E	30°14' 5.518" N
15	79°23' 51.260" E	30°14' 6.380" N

79°23'50"E 79°24'0"E

Legend

- ● GPS Points
- Proposed CA Land

JE (PWD)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

जिला अधिकारी
चमोली

वन क्षेत्राधिकारी

Scanned by CamScanner

– आदेश –

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.275 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 6.55 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/111/2019/एफ0सी0/884 दिनांक 07.8.2020 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार उप जिलाधिकारी चमोली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.275 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम कुण्डी प0वृ0 मोख, तहसील घाट की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–13 के खसरा सं0–1595 रकबा 5.035 है0, खसरा सं0–1600 रकबा 0.421 है0, खसरा सं0–1601 रकबा 0.133 है0, खसरा सं0–1612 रकबा 0.678 है0 एवं खसरा सं0–1621 करबा 0.284 है0 अर्थात कुल 6.551 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(4) भीटा के रूप में दर्ज है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II) /2012–18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

YEAR (2020-2021)
DISTRICT NO. XXVI - 5
REGISTER 992 SERIAL NO. [illegible]
DATE 27-10-2020

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः759 /छब्बीस–5 (2020–2021) गोपेश्वरः दिनांकः 27 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली/घाट।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. उप प्रबन्धक, पी0आई0यू0, एन0पी0सी0सी0 लि0, देहरादून।

जिलाधिकारी,
चमोली।

28/10/2020

ग्राम NZA खतौनी ग्राम उर्फ पट्टी ... तहसील- घाट जनपद – चमोली।

श्रेणी 10 (4) – अन्य कारणों से अकृषित भूमि

1	2	3	4	5	6	7	15 to 21
–	13	भूमि	–	351	0.083		जि० उ०—कार्यालय—चमोली के आदेश सं० 759/26-5 (2020-21) दि० 27/7/2020 के क्रम में खसरा नं० 1595 रकबा 5.035 है० 1600 रकबा 0.421 है० 1601 रकबा 0.133 है० 1612 रकबा 0.678 है० एवं 1621 रकबा 0.284 है० कुल 6.551 है० भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु कार्यालय के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के आदेश पारित होने पर दर्ज किया गया। ह० उ०जि०अ० चमोली।
				355	0.029		
				835	0.056		
				836	0.015		
				xxx	xxx		
				xxx	xxx		
				xxx	xxx		
				xxx	xxx		
				1595	5.035		
				1600	0.421		
				1601	0.133		
				1612	0.678		
				1621	0.284		
				1626	0.063		
				1632	0.037		
				1680	0.501		
				1769	0.141		
				1829	0.078		
				1863	0.870		
				1864	1.377		
				1874	1.987		
				1875	0.359		
				1899	1.705		
				1926	1.121		
		योग		38	17.288 है०		

नोट: ग्राम NZA खतौनी अभिलेख से तैयार कर सत्यापित की गयी है।

09/11/2020
कुलदीप शाह
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.....Mokh......
तहसील–घाट (चमोली)

Scanned by CamScanner